संख्या- 03/2019/495/बयालिस-2019-23(बजट)/2018

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव, प्रबन्ध समिति,
उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाईटी,
लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 20 फरवरी, 2019**

विषय :- स्पोर्टस स्टेडियम, सहारनपुर में खेलों इण्डिया स्कीम के अन्तर्गत 400 मी0 सिन्थेटिक एथलेटिक्स रनिंग ट्रैक के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, खेल के पत्र संख्या- जी0- 1588/2018-19, दिनांक 18 फरवरी, 2019 (छायाप्रति संलग्न) एवं अपने पत्र संख्या- 1331/एस0सी0/(खेलों इण्डिया)/2018, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। निदेशक, खेल द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से स्पोर्टस स्टेडियम, सहारनपुर में खेलों इण्डिया स्कीम के अन्तर्गत 400 मी0 सिन्थेटिक एथलेटिक्स रनिंग ट्रैक के निर्माण हेतु क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, सहारनपुर एवं निर्माण संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 के मध्य हुए एम0ओ0यू0 की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उक्त एम0ओ0यू0 को शासन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पोर्टस स्टेडियम, सहारनपुर में खेलों इण्डिया स्कीम के अन्तर्गत 400 मी0 सिन्थेटिक एथलेटिक्स रनिंग ट्रैक के निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या- 29-90/एम0वाई0ए0एस0/खेलों इण्डिया/2018(I)5190, दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 व पत्र संख्या- 29-90/एम0वाई0ए0एस0/खेलों इण्डिया/2018(II), दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 07.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 03.00 करोड़ (रू0 तीन करोड मात्र) निर्माण संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 495(1)/बयालिस-2019-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निर्माण कार्य धनराशि एवं स्थल आवंटित होने की तिथि से 09 माह के उपलब्ध कराये गये बार-चार्ट/पर्ट-चार्ट के अन्दर निर्धारित समय सीमा तक पूर्ण कराया जायेगा।

(3)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी, सहारनपुर।

(4)- परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, इकाई- 26, सहारनपुर।

(5)- कम्प्यूटर प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।